

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... जूणदा .....  
व भू.अ.नि. .... पुज शंकर ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा ...../नायब तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जूणदा ..... तहसील रेलमगरा ..... व जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०२२ ..... में खाता संख्या ३५१७२ ..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जूणदा	34	चतरु पुज शंकर लेली	चतरु पुज शंकर लेली
		172	चतरलाल पुज शंकर लेली	चतरु पुज शंकर लेली

रेलमगरा  
सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक:- 178/2025/25  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/9/25

1. तहसीलदार रेलमगरा ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलमगरा  
सहायक कलक्टर  
पीठासीन अधिकारी  
(उप खण्ड अधिकारी)  
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....